

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(3)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 28-2-2020

:: आदेश ::

श्री कुलदीप जैन, विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा), अलवर की सेवा अवधि में दिनांक 01.03.2020 से दिनांक 28.02.2021 (एक वर्ष) तक एतद् द्वारा वृद्धि की जाती है।

आज्ञा से


हो

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर।
9. विशिष्ट न्यायाधीश, (अजा/अजजा), अलवर
10. जिला कलक्टर, अलवर।
11. संबंधित अभियोजक।
12. कोषाधिकारी, अलवर।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. सहायक लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

  
(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण